


1.7.2020

Notified

1.7.20

आज पत्रचली वकील जकी के प्रा.पत्र पेश करने पर तलब की गई। वकील जकी ने जारिये प्रा.पत्र नोटिफिकेशन पर प्रकरण के पक्षकयान जारिगण व अजारीगण के मध्य आपसी समझौता से राजीनामा होना आदिबिध प्रा.पत्र नोटिफिकेशन पर खारिज करने का निर्देश दिया। चूंकि जारिगण वकील द्वारा प्रा.पत्र नोटिफिकेशन पर खारिज किया जाता है। फिलहाल फंसल शुमार दोबारा नंबर से कम की जाकर वास्तविक पक्षर है।


उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

